बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-15/2018-23/आ०नि०को० दिनांक-06 जनवरी'2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कुलपति/कुल सचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, बिहार

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में उच्च शिक्षा से जुड़े सुसंगत धाराओं के सभी संस्थानों (सरकारी व निजी) द्वारा अनुपालन से सम्बन्धित शपथ पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में उच्च शिक्षा से जुड़े सुसंगत धाराओं को संकलित करते हुए एक शपथ पत्र प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के राज्य अन्तर्गत सम्यक अनुपालन हेतु अधिनियम में शामिल शिक्षा से जुड़े सुसंगत धाराओं का अनुपालन आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के बिहार राज्य में अनुपालन स्थिति प्रतिवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर विविध मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार यथा समाज कल्याण विभाग की ओर से दायर किया जाना है तथा इन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाना है।

उक्त आलोक में अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप पर अपने अधीनस्थ सभी संस्थानों (सरकारी व निजी) के सक्षम पदाधिकारी को शपथ पत्र समर्पित करने हेतु निदेशित करने की कृपा करें। साथ ही अनुरोध है कि उपरोक्त हस्ताक्षरित प्रारूप संकलित कर दिनांक- **31.03.2020** के पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
06.01.20

अनु0-यथोक्त।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-15/2018-23/आ०नि०को० दिनांक-06 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव के आप्त सचिव की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06.01.20

अनु0-यथोक्त।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-15/2018-23/आ०नि०को० दिनांक-06 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06.01.20

अनु0-यथोक्त।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-15/2018-23/आ०नि०को० दिनांक-06 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06.01.20

अनु0-यथोक्त।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0प0उ0............

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-15/2018-23/आ०नि०को० दिनांक-06जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

06.01.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

Website-www.scdisabilities.org

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की विभिन्न सुसंगत धाराओं (उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ) के अनुपालन हेतु।

<u>अनुपालन के सम्बन्ध में घोषणा/शपथ</u>

1.	संस्थान का नाम	
	पता एवं पिनकोड	
	मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल	
2.	प्राचार्य/निदेशक नाम	
	मोबाइल नम्बर	
	ई-मेल	

3. विभिन्न सुसंगत धाराएँ - शिक्षा से सम्बन्धित

धारा संख्या	शीर्षक/विषय	<u>शपथ/घोषणा</u> हाँ/नहीं एवं समय-सीमा
धारा-3	Equality and non-discrimination-दिव्यांगजनों के साथ नामांकन मे विभेद नही किया जाना है।	
धारा-16	Duty of educational institutions (शिक्षण संस्थानों का कर्त्तव्य)	
धारा-17	Specific measures to promote and facilitate inclusive education-विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता इत्यादि।	
धारा-18	Adult education (प्रौढ़ शिक्षा)- प्रौढ़ शिक्षा मे दिव्यांगजनो की भागीदारी बढ़ाना एवं समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखना।	
धारा-21	Equal opportunity policy (समान अवसर नीति)-नियोजन में दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करना।	
धारा-30	Sporting activities (खेलकूद गतिविधियाँ)-दिव्यांगजनों को खेलकूद गतिविधियों में समावेशी अवसर प्रदान करना।	
धारा-31	Free education for children with benchmark disabilities (संदर्भित दिव्यांग बालकों को नि:शुल्क शिक्षा)	
धारा-32	Reservation in higher educational institutions-5% Reservation for PwDs उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण - दिव्यांगजनों को 5 प्रतिशत आरक्षण	
धारा-35	Incentives to employers in private sector (प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन)-पाँच प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन	
धारा-41	Access to transport (परिवहन तक पहुँच)-शिक्षण संस्थानों से जुड़े परिवहन साधनों तक दिव्यांगजनों की पहुँच।	
धारा-42	Access to information and communication technology (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच)	
धारा-44	Mandatory observance of accessibility norms (पहुँच सन्नियमों का आज्ञापक रूप से अनुपालन)	
धारा-45	Time limit for making existing infrastructure and premises accessible and action for that purpose (विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा)	
धारा-46	Time limit for accessibility by service providers (सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुँच के लिए समय-सीमा)	
धारा-50	Registration (रजिस्ट्रीकरण)-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत निबंधन	

संरचना का विस्तृत विवरण (आवश्यकतानुसार अलग पृष्ठ संलग्न कर दें)		
7.	भवन, टायलेट, मैदान सम्बन्धी स्थिति	
8.	टीचिंग एवं नन टीचिंग स्टाफ की संख्या एवं विवरण	
9.	विशेष शिक्षकों की संख्या एवं उनकी सूची	

नाम एवं हस्ताक्षर
(अधिकृत व्यक्ति)